न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 118 / 2023

1 जयराम पुत्र नानचा जाति गुर्जर, निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2017 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन कलेक्टेर खेतड़ी उनवानी मुकदमा जयराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दावा बाबत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. मु.सं. 35 / 2017

उपस्थिति :

1. श्री मनोज कुमार वर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 24.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा 35/2017 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट (वादी) ने एक दावा इस आशयक का पेश किया कि ग्राम बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू की सरहद में गत खसरा नम्बर 565 हाल खसरा नम्बर 652 ता. 0.94 हैक्टेयर स्थित है। वादी उक्त आराजीयात पर सन 1975 से पूर्व से काबिज होकर लगातार काश्त करता आ रहा है। गत खसरा नम्बर 565 के कुल रकबा में 5 बीघा का नियमन वादी को दिनांक 10.01.1979 को किया गया था जिसका अंकन गिरदावरी सम्वत 2035—38 में किया गया है तथा उसके पश्चात उक्त नियमन को अति. जिलाधीश महोदय झुन्झुनू द्वारा दिनांक 10.01.1979 को निगरानी उनवानी रामेश्वर बनाम जयराम मु.सं. 04/1979 द्वारा वादी के हक में निर्णय पारित किया गया कि नियमन में से 2 बीघा 10 बिश्वा भूमि का नियमन बहाल रखा जाता है। उक्त आदेश का नोट गिरदावरी सम्ववत 2035—38 में किया गया है। दिनांक 20.12.1980 के आदेशानुसार उक्त हाल खसरा नम्बर 652 के रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि का पर्चा लगान व किस्म बारानी तृ. सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी व सहायक भू—अभिलेख अधिकारी खेतड़ी मु. बीकानेर ने वादी को दिनांक 20.12.1980 को जारी कर दिया तथा लगान 01.89 रूपय कायम किया लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अमल दरामद नहीं हुआ। वादी अनपढ़ होने से इसकी चाराजोही नहीं कर सका। कालातंर में फरवरी 2017 में राजस्व रिकार्ड से वादी को ज्ञात हुआ कि उक्त आराजियात अभी भी राज्य सरकार की खातेदारी में गैर मुमकिन पहाड़ किस्म दर्ज है। जिस पर वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु अपना

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त दावा का पेश किया जिस पर बाद प्रतिवादी तहसीलदार खेतड़ी की तामील व जवाब विचारण न्यायालय ने वाद वादी साबित नहीं होना मानकर निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2017 को जारी कर अपीलांट का दावा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री में नियमन आदेश दिनांक 10.01. 1979, अति जिलाधीश का निर्णय दिनांक 20.12.1980, रसीद पर्चा लगान व गिरदावरी सम्वत 2035–38 जमाबंदी सम्वत 2072–75 वादी के हक में 2 बीघा 10 बिश्वा होने का अंकन किया लेकिन वादी का वादग्रस्त खसरा नंबरान की भूमि पर नियमित कब्जा नहीं होने का आधार मानकर दावा खारिज करने में भारी भूल की है। वादी अपने दावा में स्पष्ट कर दिया था कि वादग्रस्त खसरा नंबरान की भूमि पर वादी सन् 1975 से पूर्व से काबिज–काश्त चला आ रहा है। जिसके संदर्भ में पूर्व में की गयी कार्यवाही में न्यायालय अति. जिलाधीश झुन्झुनू, निगरानी संख्या 04/79 दिनांक 20.12.1980 उनवान रामेश्वर बनाम जयराम के निर्णय में अति. जिलाधीश द्वारा साफ व स्पष्ट शब्दों में आदेश पारित कर दिया कि 2 बिघा 10 बिश्वा भूमि का नियमन अपीलांट के पक्ष में बहाल रखा गया। उक्त नियमन की कार्यवाही भी अति. जिलाधीश द्वारा अपीलांट के दस्तावेजों व साक्ष्य सबूत को आधार मानकर ही पारित किया गया है। आज विचारण न्यायालय ने उक्त निर्णय को आधार न मानकर दावा खारिज करने में भारी भूल की है जबकि अति. जिलाधीश के निर्णय में स्पष्ट कथन अंकन किया गया है कि 2 बीघा 10 भूमि का नियमन अपीलांट के हक में आदेश पारित किये गये है और इस संदर्भ में खसरा गिरदावरी सम्वत 2035 से 2038 में इन्द्राज आया है। अपीलांट के हक में निर्णय पारित होकर नियमन हुय पुरे 40 वर्ष हो चुके है जिसको आज तक कही भी चुनौती नहीं दी गयी है जिसमें अपीलांट अपना कच्चा पक्का निर्माण कर रहवास करता चला आ रहा

है। इस ओर विचारण न्यायालयय ने कोई गौर नहीं किया। भारतीय साक्ष्य अधि. की धारा 90 का भी सिद्धान्त है कि 30 वर्ष पुराने दस्तावेज रिकार्ड के बारे में सही होने की उपधारणा की जावेगी। विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त खसरा नंबरान की भूमि पर अपीलांट का नियमित कब्जा नहीं होने को गलत आधार माना है जबकि अपीलांट के हक में विवादित भूमि के संदर्भ में पटवारी द्वारा दिनांक 26.02.1997 पुस्तक संख्या 081316 रसीद नम्बर 39 एवं दिनांक 20.01.2020 पुस्तक संख्या 0022052 रसीद संख्या 43 भी जारी की हुई है। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रिपोर्ट नायब तहसीलदार खेतड़ी से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 652 रकबा 0.94 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज रिकार्ड है। वादी की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2035–2038 के कॉलम 40 में रेगुलाईज दिनांक 10.01.1979 जयराम पुत्र नानचा गुर्जर सा. बाडलवास खसरा नम्बर 565 में से 5 बीघा किस्म परिवर्तन गैर मुमकिन पहाड़ से बा. सोयम उसके बाद नोट श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 20.12.1980 द्वारा 2 बीघा 10 बिश्वा का नियमन बहाल रखा गया शेष 2 बीघा 10 बिश्वा का निरस्त कर दिया गया, का ही अंकन है। लेकिन वादी की ओर से पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि वादग्रस्त भूमि वह निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा हो। उक्त तथ्य की पुष्टि नायब तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट से भी होती है। अतः कब्जे के अभाव में वादी का वाद बाबत अधिकार घोषणा पोषणीय नहीं है। विधि अनुसार किस्म गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि में खातेदारी की उद्घोषणा किया जाना विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा दिन प्रतिदिन की देरी का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रिपोर्ट नायब तहसीलदार खेतड़ी से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 652 रकबा 0.94 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज रिकार्ड है। वादी की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2035–2038 के कॉलम 40 में रेगुलाईज दिनांक 10.01.1979 जयराम पुत्र नानचा गुर्जर सा. बाडलवास खसरा नम्बर 565 में से 5 बीघा किस्म परिवर्तन गैर मुमकिन पहाड़ से बा. सोयम उसके बाद नोट श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 20.12.1980 द्वारा 2 बीघा 10 बिश्वा का नियमन बहाल रखा गया शेष 2 बीघा 10 बिश्वा का निरस्त कर दिया गया, का ही अंकन है। लेकिन वादी की ओर से पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि वादग्रस्त भूमि वह निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा हो। उक्त तथ्य की पुष्टि नायब तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट से भी होती है। अतः कब्जे के अभाव में वादी का वाद बाबत अधिकार घोषणा पोषणीय नहीं है। विधि अनुसार किस्म गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि में खातेदारी की उद्घोषणा किया जाना विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा दिन प्रतिदिन की देरी का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

[illegible] अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प [illegible])

निर्णय आज दिनांक 24.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)